

# न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर०ए०एस० )

वाद सं० : 578 सन 2019

अनवान :-

1. रामलाल पुत्र हजारी जाति जाट साकिन टोपरिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ

वादी

## बनाम

1. हजारी पुत्र सुखा जाति जाट साकिन टोपरिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. देवीलाल पुत्र हजारी जाति जाट साकिन टोपरिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3. सावत्री पुत्री हजारी जाति जाट साकिन टोपरिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
4. विधा पुत्री हजारी जाति जाट साकिन टोपरिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
5. राममुर्ति पुत्री हजारी जाति जाट साकिन टोपरिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
6. गुडडी पुत्री हजारी जाति जाट साकिन टोपरिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
7. कमला पुत्री हजारी जाति जाट साकिन टोपरिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
8. बिमला पुत्री हजारी जाति जाट साकिन टोपरिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।
10. ऑरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स शाखा नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

दावा इस्तकरार हक अन्तर्गत धारा 88

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित : श्री हवासिह पूनिया अधिवक्ता अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :- 21/01/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा चक 20 आरडब्ल्यूडी बी के प०न० 238/404(9) किला न० 15 ता 25/2.7830हैक्ट , प०न० 237/404(10) के किला न० 16 ता 18, 20 ता 25/2.2770हैक्ट , प०न० 235/409(66) किला न० 25/0.2530 , प०न० 236/409(67) किला न० 15 ता 20, 21/2, 22/2, 23/2, 24/2, 25/2, की 2.6570हैक्ट , प०न० 237/409(68) किला न० 6 ता 20, 21/2, 22/2, 23/2, 24/2, 25/2 की 4.9340हैक्ट कुल तादादी 12.9040हैक्ट भूमि के वादी एव प्रतिवादी संख्या 2 बहिब के खातेदार काश्तकार है। एवं रोही मौजा चक 20 आरडब्ल्यू डी सी के प०न० 235/410(13) किला न० 5/0.2530 , प०न० 236/410(14) किला न० 1/0.2530 , प०न० 237/410(15) किला न० 3/0.253, 4/0.253, कुल 1.265हैक्टभूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 से दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा सुखा पुत्र साबु के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा सुखा पुत्र साबु के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा सुखा पुत्र साबु के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पत्ति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 8 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 3 ता 8 वादी की बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 3 ता 8 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 3 ता 8 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ने अन्य भूमि रख कर वाद भूमि में अपने हक हिस्सा का त्याग किया जा चुका इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

सुश्री श्वेता कोचर  
(राजस्व)  
नोहर

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 बहिब के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 स्वयं न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पिता सुखा पुत्र साबु के देहान्त होने पर विरास्तन से प्राप्त हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 3 ता 8 जो वादी की बहन एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है ने निवेदन किया की उन्होंने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाईयों वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में त्याग किया जा चुका है एवं प्रतिवादी संख्या 1 ने भी निवेदन किया की उसने भी वाद भूमि में अपने हकों का त्याग कर चक 20 आरडब्ल्यूसी की भूमि रख ली है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। ईकबाल दावा तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 9 परोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 20 आरडब्ल्यूडी बी की कुल तादादी 12.9040 है व भूमि के वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 बहिब के खातेदार काश्तकार है। एवं रोही मौजा चक 20 आरडब्ल्यू डी सी के प0न0 235/410(13) किला न0 5/0.2530, प0न0 236/410(14) किला न0 1/0.2530, प0न0 237/410(15) किला न0 3/0.253, 4/0.253, कुल 1.265 हैक्टभूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 से दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा सुखा पुत्र साबु के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा सुखा पुत्र साबु के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा सुखा पुत्र साबु के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पत्ति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 8 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 3 ता 8 वादी की बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 3 ता 8 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 3 ता 8 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ने अन्य भूमि रख कर वाद भूमि में अपने हक हिस्सा का त्याग किया जा चुका इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात् वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है वादी अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायाधिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

परोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पत्ति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।


हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 20 आरडब्ल्यूडी बी की कुल तादादी 12.9040 है व भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

सजरा खानदान एवं जमाबन्दी सम्वत 2001 के अनुसार वाद भूमि सुखा वल्द साबु के नाम से दर्ज थी अर्थात वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा सुखा वल्द साबु के नाम से दर्ज है वादी के दादा सुखा वल्द साबु के देहान्त होने के वाद विरास्तन से वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है विरास्तन से भूमि वादी के पिता के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति होना साबित है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6, 8 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादी का हक हिस्सा है अर्थात दादा की सम्पति में पौते/पौतियों को बराबर का हक हिस्सा होगा। अर्थात वाद भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 बहिब के हकदार है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 1, 3 ता 8 जो वादी की बहने है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 3 ता 8 स्वय न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में त्याग किया जा चुका है एवं वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 ने आपसी सहमति से वाद भूमि का बाहमी बटवारा कर लिया है उसी के अनुसार काश्त करते है राजीनामा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के सामर्थन में ईकबाल भी पेश किया जा चुका है जो तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया जा चुका है तथा प्रतिवादी संख्या 3 ता 8 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं परोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नहीं होने पर एक प्रस्तुत न्यायायिक दृष्टान्त प्रकरण में पूर्णरूप से चस्पा होती है अतः वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 20 आरडब्ल्यूडी बी के प0न0 238/404(9) किला न0 15 ता 25/2.7830हैक्ट, प0न0 237/404(10) के किला न0 16 ता 18, 20 ता 25/2.2770हैक्ट, प0न0 235/409(66) किला न0 25/0.2530, प0न0 236/409(67) किला न0 15 ता 20, 21/2, 22/2, 23/2, 24/2, 25/2, की 2.6570हैक्ट, प0न0 237/409(68) किला न0 6 ता 20, 21/2, 22/2, 23/2, 24/2, 25/2 की 4.9340हैक्ट कुल तादादी 12.9040हैक्ट भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है में से 5.009 हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम रहेगी तथा 7.895हैक्ट भूमि के वादी व प्रतिवादी संख्या 2 बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलगन 5000/- रु स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमीलन जाब्ता दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 21.01.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया।

  
 उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
 नोहर (हनुमानगढ़)

## पर्चा डिक्री

( आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी )

### न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. रामलाल पुत्र हजारी जाति जाट साकिन टोपरिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ  
वादी

बनाम

1. हजारी पुत्र सुखा जाति जाट साकिन टोपरिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. देवीलाल पुत्र हजारी जाति जाट साकिन टोपरिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3. सावत्री पुत्री हजारी जाति जाट साकिन टोपरिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
4. विधा पुत्री हजारी जाति जाट साकिन टोपरिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
5. राममुर्ति पुत्री हजारी जाति जाट साकिन टोपरिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
6. गुडडी पुत्री हजारी जाति जाट साकिन टोपरिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
7. कमला पुत्री हजारी जाति जाट साकिन टोपरिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
8. बिमला पुत्री हजारी जाति जाट साकिन टोपरिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।
10. ऑरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स शाखा नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।


प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 578 सन 2019 निर्णय दिनांक- 21/11/2020

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व ) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं परोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 20 आरडब्ल्यूडी बी के प0न0 238/404(9) किला न0 15 ता 25/2.7830हैक्ट , प0न0 237/404(10) के किला न0 16 ता 18 ,20 ता 25/2.2770हैक्ट , प0न0 235/409(66) किला न0 25/0.2530 ,प0न0 236/409(67) किला न0 15 ता 20 ,21/2 ,22/2 ,23/2 ,24/2 ,25/2 ,की 2.6570हैक्ट , प0न0 237/409(68) किला न0 6 ता 20 ,21/2 ,22/2 ,23/2 24/2 ,25/2 की 4.9340हैक्ट कुल तादादी 12.9040हैक्ट भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है में से 5.009 हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम रहेगी एवं 7.895हैक्ट भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 2 बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाता है तथा चक 20 आरडब्ल्यू सी की कुल 1.2650हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभरपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 21/11/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
नोहर (हनुमानगढ)